

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

दिनांक

फर्द अहकाम

29/10/25

पत्रावली पेश हुई। वकील सापल उप०/ गौट सापलान की ह० से EXPARTY से चुकी हुई कादी/सापल का मूल डाका डिक्ली हो चुका है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किया जा रहा है।

कस: मु० न०. 60/2022 उनवानी संतोष कुमार शर्मा प/5 देवीगिहू वग०

जा० पत्र अपेक्षा कि वह पत्रा खासि किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दि० 21/4/2022 को जारी आनिर्देशम स्थान भाँडेश विद्वद्दी किम जाते हैं।

पत्रावली फौजिल कुमार होकर वाड लकमील नमक ए सा कम की जकल मूल डाका के साथ शामिल मिल रहे हैं।

मुनाफा गया

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (कौली)